शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 124 /XVI(1)/17/7(9)/2014

प्रेषक,

आर0मीनाक्षी सुन्दरम
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण,उत्तराखण्ड,
उद्यान भवन चौबटिया–रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग–1 **देहरादून: दिनांक–30 जनवरी, 2017**

विषय:– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृत विभाग में संचालित नई योजना "राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना" के मानक के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–1251/नियोजन–मानक/2016–17, दिनांक–14 सितम्बर, 2016,पत्रांक–169/नियोजन–मानक/2016–17,दिनांक–20–10–2016 एवं पत्रांक–1886/नियोजन–मानक/2016–17, दिनांक–22 दिसम्बर, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न **परिशिष्ट–1** के अनुसार वर्ष 2016–17 में उद्यान विभाग हेतु स्वीकृत नई योजना "राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना" के मानकों को अनुमोदित किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:–

1– वर्ष 2016–17 में स्वीकृत उक्त योजना का कियान्वयन समयबद्ध रूप से नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

2– स्वीकृत योजना का कियान्वयन योजना के प्रभावी रहने तक किया जायेगा। योजना से लाभ न प्राप्त होने पर अनावश्यक रूप से विस्तारित नहीं किया जायेगा। स्वीकृत योजना हेतु **परिशिष्ट–1** में जैसा कि प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, उसके इतर किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जायेगी तथा लाभार्थियों एवं काश्तकारों को शत–प्रतिशत लाभ पहुँचाया जायेगा।

3– योजना के कियान्वयन के दौरान लाभार्थियों एवं काश्तकारों को धनराशि का भुगतान आर0टी0जी0एस0/डी0बी0टी0 के माध्यम से नियमानुसार किया जायेगा।

4– योजना/मानकों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की दुविधा उत्पन्न होने पर शासन का अपेक्षित मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा।

5– योजना का कियान्वयन करते समय समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा योजना के मानकों में किसी प्रकार का संशोधन का अधिकार उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड शासन का होगा।

3– उक्त के अतिरिक्त मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि "राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना" का संचालन अपर सचिव, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा NMFP की भॉति किया जाता रहेगा।

संलग्नक–यथोपरि।

SHO (V)/HQ (C)
6/2

भवदीय,

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

Scanned with CamScanner

शासनादेश संख्या–124 /XVI(1)/17/7(9)/2014,दिनांक–30 जनवरी, 2017 का 'परिशिष्ट–1'

अनुदान संख्या–29 (राज्य सैक्टर सामान्य)

मद/योजना का नाम	कम्पोनेन्ट (मद)	देय राजसहायता कार्य
0318–राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना	राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य पदार्थो को बेकार होने से बचाना, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थो का निर्माण कर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विकास करना है। इस योजना में फल, सब्जियों एवं मसालों का प्रसंस्करण, मशरूम, शहद, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का प्रसंस्करण, अनाज से निर्मित खाद्य उत्पाद, ब्रेकरी एण्ड कन्फेक्शनरी, वाइनरी आदि को सम्मिलित कर निम्न कार्य किये जायेंगे:– 1–नये खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/आधुनिकीकरण/तकनीकी उन्नयन /मौजूदा इकाईयों का विस्तारीकरण। 2–खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढीकरण (FPTC)। 3–सेमिनार/गोष्ठी/जागरूकता कार्यक्रम।	**1–नये खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/ आधुनिकीकरण/ तकनीकी उन्नयन/मौजूदा इकाईयों का विस्तारीकरण:–** योजनान्तर्गत परियोजना लागत में तकनीकी सिविल कार्य तथा प्लाण्ट एवं मशीनरी की लागत का मैदानी एवं तराई क्षेत्रों में राज सहायता 33.33 प्रतिशत अधिकमत रू0 75.00 लाख तथा पर्वतीय क्षेत्रों हेतु राज सहायता 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 75 लाख प्रति परियोजना/अनुदान उद्यामियों/कृषकों को दिया जायेगा। **2–खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढीकरण (FPTC):–** इस योजना के तहत राज्य के कृषकों/उद्यमियों/राजकीय/व्यक्तिगत संस्थानों आदि द्वारा खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना कर स्थानीय व्यक्तियों/महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों को तैयार करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। इस योजनान्तर्गत एक उत्पाद प्रसस्करण हेतु रू0 6.00 लाख तथा बहु उत्पाद प्रसंस्करण हेतु रू0 15.00 लाख अनुदान प्रति परियोजना देय होगा। योजनान्तर्गत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अन्तर्गत दूर दराज क्षेत्रों में स्थापित राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण भी किया जायेगा। इसके अन्तर्गत राज सहायता शत प्रतिशत देय है। **3–सेनिनार/गोष्ठी/जागरूकता कार्यक्रम:–** इस योजनान्तर्गत विभाग द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्यानों की स्थापना सम्बन्धी व्यापक प्रचार– प्रसार आदि के लिए सेमिनार/वर्कशाप आयोजित करने एवं राज्य एवं जनपद स्तरीय मेले/प्रदर्शनियों का आयोजन विभाग द्वारा किया जायेगा। इसमें राज्य स्तरीय प्रति कार्यक्रम हेतु रू0 3.00 लाख तथा जनपद स्तरीय कार्यक्रम हेतु रू0 2.00 लाख व्यय हेतु राज सहायता देय होगी।

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

Scanned with CamScanner